अक्सर पूछे जाने वाले सवालः पी एस डीटीई

प्र. 1 मेजर धनपालन मामले में दिनांक 04 सितंबर, 2012 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है? एक्स सर्विसमेन (पूर्व सेवाकर्मियों) को रैंक पे एरियर (बकाया) का भुगतान किस तिथि से किया जाएगा? रैंक पे एरियर के लिए सही पात्रता का आकलन कोई कैसे कर सकता है?

उत्तरः रैंक पे एरियर एवं इसकी गणना को लेकर मेजर धनपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्न अनुच्छेदों में उल्लिखित हैः

(क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 04.09.12 के अदेश के द्वारा 08.03.10 को प्ट सीपीसी के रैंक पे मामले में दिए गए अपने निर्णय को बरकरार रखा है, जिसके मुताबिक प्ट सीपीसी के क्रियान्वयन पर वेतन निर्धारण (पे फिक्सेशन) हेतु घटाए गए रैंक पे तत्व का हिस्सा अब अलग तत्व के रूप में स्वीकृति योग्य है। पुनर्निर्धारण अब 01.01.1986 से तदनुसार किया जाना है एवं 01.01.2006 से अफसरों का एरियर (बकाया) 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। क्रियान्वयन हेतु 27.12.2012 को जारी रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, क्रियान्वयन कैप्टन से ब्रिगेडियर अफसर रैंक तक सीमित है, जैसा 01.01.1986 को था।

(ख) एरियर का भुगतान पीसीडीए (ओ) द्वारा 01.01.1986 से लेकर सेवानिवृति की तिथि तक का किया जाएगा, एवं अंतिम वेतन में बदलाव के मामले में पीसीडीए (पी) द्वारा पेंशन भुगतान आदेश का शुद्धिपत्र (कॉरिजेंडम पेंशन पेमेंट ऑर्डर) जारी किया जाएगा। ताकि पेंशन वितरण प्राधिकरण पुनर्निर्धारण के कारण अंतिम वेतन में बढ़ोतरी के कारण पेंशन के बकाए की गणना और उसका भुगतान कर सके।

(ग) एरियर की सही पात्रता की गणना एरियर देय अवधि के दौरान खातों के ड्यू-ड्रान स्टेटमेंट एवं मंथली स्टेटमेंट की तुलना कर की जा सकती है। यदि कोई विसंगति (गड़बड़ी) पीसीडीए (ओ) के समक्ष लाई जाती है, उनके द्वारा उसकी पुनः जांच की जाएगी।

प्र. 2 परिपक्वता अवधि से पूर्व सेवानिवृत होने वाले क्या विकलांगता तत्व के योग्य हैं? यदि हां, तो यह किस तिथि से प्रभावी है?

उत्तरः यदि किसी आर्म्ड फोर्स के किसी कर्मचारी को, जो फौजी सेवा (मिलिट्री सर्विस) से पैदा होने वाले या बढ़ने वाली विकलांगता का 20 प्रतिशत या इससे अधिक का शिकार हुआ है और उसे विकलांगता के बावजूद सेवा में बनाए रखा जाता है और उसने विकलांगता के एवज में एकमुश्त क्षतिपूर्ति रकम स्वीकार न की हो, वह जनवरी 2006 को या इसके पश्चात परिपक्वता पूर्व सेवानिवृत होने की स्थिति में विकलांगता/युद्ध क्षति तत्व का अधिकारी होगा।

प्र. 3 विकलांगता का विस्तृत वर्गीकरण (ब्रॉड बैंडिंग) क्या है? इसके लिए कौन पात्र हैं?

उत्तरः विकलांगता के विस्तृत वर्गीकरण के जो पात्र हैं, वे निम्न हैः-

(क) विकलांगता का विस्तृत वर्गीकरण ब्रॉड बैंडिंग अयोग्यता/मानित अयोग्यता के मामलों में ही स्वीकार्य है। यह उम्र के आधार पर या समयपूर्व सेवानिवृति के मामलों में लागू योग्य नहीं है।

(ख) ब्रॉडबैंडिग की रेंज (सीमा) निम्न प्रकार से हैः

विकलांगता:	**विकलांगता/युद्ध क्षति तत्व के परिकलन (गणना) हेतु मान्य प्रतिशत**
50 से कम	50
51-75	75
676-100	100

प्र. 4 एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) मुद्दे पर नवीनतम समाचार क्या है?

उत्तरः 18 फरवरी, 2014 के अंतरिम बजटीय भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने एक रैंक एक पेंशन की घोषणा की है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी अपेक्षित है।

प्र. 5 क्या डिफेंस सिक्युरिटी कोर्प्स कर्मी नजदीकी रिश्तेदार दोहरे पारिवारिक पेंशन के अधिकारी हैं? कृपया इसका प्रमाण बताएं।

उत्तरः रक्षा मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 10 (17)/2011-डी(पीईएन/पीओएल), दिनांकित 21 मार्च, 2013 के द्वारा स्पष्ट किया है कि दोहरी पारिवारिक पेंशन डिफेंस सिक्युरिटी कोप्र्स पारिवारिक पेंशनभोगियों हेतु भी प्रयोज्य है।

प्र 6 क्या पारिवारिक पेंशन के अधिकारी शारिरिक रूप से विकलांग बेटे/बेटी विवाह के बाद भी इसके अधिकारी हैं?

उत्तरः हां, एक डिफेंस पेंशनभोगी के शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग बेटे/बेटी लाभार्थी के विवाह के बाद भी इसके अधिकारी हैं, आय मानदंडों के अनुसार। (एयूटीएच जीओएल एमओडी पत्र संख्या 02(03)/2010-डी(पीईएन/पीओएल) दिनांकित 17 जनवरी, 2013)

प्र. 7 पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? उनका आकलन किस प्रकार होता है?

उत्तरः पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के विभिन्न प्रकार निम्न हैः

(क) सेवानिवृति/सेवा पेंशनः सेवानिवृति पर लागू, यदि अधिकारियों ने 20 वर्ष और जूनियर कमीशन अफसरों या अन्य रैंक के लोगों ने 15 वर्ष की अर्हता सेवा पूरी हो। पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की अर्हता सेवा की शर्त 01.01.2006 से हटा दी गई है एवं पहले रैंक के अनुसार दिए जाने वाले भार या महत्व को भी समाप्त कर दिया गया है।

(ख) सेवानिवृति/सेवा पेंशन की गणना (परिकलन):- इसकी गणना अफसरों द्वारा निकाले जाने वाले अंतिम आरई (रेकनेबल एमाल्यूमेंट्स) के 50 प्रतिशत पर की जाती है। आई पद (शब्द) में पेबैंड के अनुसार बेसिक पे, ग्रेड पे, मिलिट्री सर्विस पे एवं एनपीए (जहां लागू हो) शामिल है।

(ग) विकलांगता पेंशनः यह किसी सेवाकर्मी के 20 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के शिकार होने पर अयोग्यता/सेवानिवृति के मामलों में, जिसके पैदा होने या ज्यादा बढ़ने का कारण मिलिट्री सेवा हो, यदि इसकी संस्तुति रिलीज मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाए, लागू योग्य है। विकलांगता पेंशन के दो घटक हैः सेवा तत्व एवं विकलांगता तत्व।

(1) सेवा तत्वः आरई के 50 प्रतिशत पर गणना।

(2) विकलांगता तत्वः 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए अंतिम आरई के 30 प्रतिशत पर गणना। कम विकलांगता प्रतिशत के लिए रकम तत्व को यथानुपात (प्रो-राटा) घटाया जाता है।

(घ) युद्ध क्षति पेंशनः युद्ध घावों के कारण पैदा अयोग्यता पर लागू। इसमें दो घटक शामिल हैः सेवा तत्व एवं युद्ध तत्व, जिसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती हैः

(1) सेवा तत्वः अंतिम आरई के 50 प्रतिशत पर गणना।

(2) युद्ध क्षति तत्वः 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए अंतिम आरई के 100 प्रतिशत पर गणना। कम विकलांगता प्रतिशत के लिए, रकम को आनुपातिक रूप से घटाया जाता है। उम्र के आधार पर सेवानिवृति में, 100 प्रतिशत विकलांगता हेतु युद्ध क्षति तत्व की गणना अंतिम आरई के 60 प्रतिशत पर की जाती है। कम विकलांगता प्रतिशत के लिए, रकम को आनुपातिक रूप से घटाया जाता है।

(ड़) अमान्य (इनवैलिड) पेंशनः जब आम्ड फोर्सेज के किसी कर्मी को वैसी कवकलांगता के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, जो न तो मिलिट्री सेवा के कारण पैदा हुई हो और न तो इसके कारण बढ़ी हो, तो वह 10 वर्ष की अर्हता सेवा पूरा कर चुकने की स्थिति में अमान्य पेंशन का हकदार होता है।

अमान्य पेंशन की गणना भी अंतिम आहरित (निकले गए) आरई के 50 प्रतिशत पर की जाती है।

(च) सामान्य पारिवारिक पेंशनः जब किसी सेवाकर्मी की मृत्यु न तो सेना सेवा के कारण पैदा और न इससे बढ़ने वाले कारणों से होती है, उसके सबसे नजदीकी रिश्तेदार सामान्य पारिवारिक पेंशन के अधिकारी हैं। यह परिवार के पात्र सदस्य को निम्न प्रकार से देय हैः

(1) सामान्य पारिवारिक पेंशन की बढ़ी दरें:- मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष तक अंतिम आरई के 50 प्रतिशत के बराबर।

(2) सामान्य पारिवारिक पेंशन की सामान्य दरः अंतिम आरई के 30 प्रतिशत के बराबर आजीवन।

(छ) विशिष्ट पारिवारिक पेंशनः जब किसी सेवाकर्मी की मृत्यु के लिए सेना सेवा से पैदा और इससे बढ़ने वाले कारणों को जिम्मेदार माना जाता है, उसके सबसे नजदीकी रिश्तेदार विशिष्ट अंतिम आहरित आरई के 60 प्रतिशत के बराबर पारिवारिक पेंशन के अधिकारी हैं।

(ज) उदार पारिवारिक पेंशनः यह युदध, युद्ध जैसी स्थिति, अधिसूचित ऑपरेशन (आंकवाद विरोधी ऑपरेशन समेत) में वीरगति को प्राप्त होने की स्थिति में लागू है। उदार पारिवारिक पेंशन स्वाकर्मी के अंतिम आरई के बराबर है।

प्र. 8 मेरे पति बीमारी के कारण 2007 में सेवामुक्त कर दिए गए थे और 2014 में उसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मैं किस प्रकार के पेंशन की हकदार हूं? इस मामले में पात्रता पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं इसके प्राधिकारी कौन हैं?

उत्तरः पात्रता नियम 2008 के अनुच्छेद-8 के अनुसार, वैसे मामलों में, जिनमें विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्ति की मृत्यु सेवामुक्ति/सेवानिवृति के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है, तो उसे उसी बीमारी के कारण मृत माना जा सकता है जिसके लए उसे विकलांगता पेंशन की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन यह बात सक्षम चिकत्सा प्राधिकारी के द्वारा स्थापित की जानी चाहिए। यदि मौत के कारण के चिकित्सकीय प्रमाणपत्र उपलब्ध न हों तो अन्य कारकों एवं परिस्थिजन्य साक्ष्यों पर विचार किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, विधवा को विशेष पारिवारिक पेंशन के दावे के लिए

एजडुटैंट जनरल की शाखा (एमपी-5(बी), यदि मामला अधिकारी का हो तो, अन्यथा जूनियर कमीशन अफसरों के मामले में रेकॉर्ड कार्यालयों से संपर्क करना चाहिए।

प्र. 9 मैं शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारी हूं और अपना कार्यकाल समाप्त होने पर 10 साल बाद मैंने सेना को छोड़ दिया। मैंने अपने कमीशन से पूर्व 2 साल तक रैंक्स में सर्विस दी। क्या मैं पेंशन संबंधी लाभों का अधिकारी हूं? इसका प्रमाण क्या है?

उत्तरः शॉर्ट सर्विस कमीशंड वैसे अधिकार, जिन्होंने पहले रैंक्स में सेवा दी, पेंशन के अधिकारी हैं, यदि उनके द्वारा दी गई सेवा की कुल अवधि (रैंक एवं कमीशन) 12 साल या इससे ज्यादा हो। इस मामले में, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(2)/88/डी(पीईएन/एसईआरएस) दिनांकित 09 जनवरी, 1990 के अनुसार, अन्य पूर्व रैंक के सेवा का आकलन 01 जुलाई 66 से पूर्व आधे पर किया गया, 01 जुलाई 66 को या इसके बाद सेवानिवृत होने वालों के लिए दो तिहाई एवं 01 जनवरी, 1986 से पूरा।

प्र. 10 2006 से पहले या इसके बाद सेवानिवृत होने या उनके नजदीकी रिश्तेदार को मिलने वाले पेंशन या पारिवारिक पेंशन की पात्रता क्या है? इसका प्रमाण क्या हंै?

उत्तरः 2006 से पूर्व और पश्चात सेवानिवृति की खाई को पाटने हेतु 2006 से पूर्व के पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए एक न्यूनतम प्रत्याभूत (गारंटीड) पेंशन/पारिवारिक पेंशन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(13)/2012/डी(पीईएन /पीओएल) दिनांकित 17 जनवरी, 13 एवं संख्या 1 (14)/2012/डी (पीईएन/पीओएल) दिनांकित 17 जनवरी, 13 के द्वारा स्वीकृत की गई है। साथ ही 18 फरवरी, 2014 के अंतरिम बजटीय भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) की घोषणा की है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी अपेक्षित है।

प्र. 11 आम्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने मेरे पक्ष में 60 प्रतिशत विकलांगता अनुदान का निर्णय दिया है। 3 महीने बीत चुके हैं, पर मुझे अब तक विकलांगता पेंशन का लाभ नहीं मिला है। आम्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के निर्णय पर कितने समय में अमल किया जाना चाहिए?

उत्तरः

(क) जब आम्र्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के निर्णय सरकारी नीतियों के अनुसार होते हैं, तो उस पर जल्द से जल्द अमल किए जाने के प्रयास किए जाते हैं। सामान्यतः 90 दिनों के भीतर।

(ख) जब आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के निर्णय सरकारी नीतियों और स्थापित कानूनी स्थिति के विरूद्ध होते हैं, तो उस संदेहास्पद निर्णय अनुसार होते हैं, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी जाएगी। आगे की कार्रवाई यानी ट्रिब्यूनल के निर्णय का क्रियान्वयन होना या न होना, सिविल अपील के परिमाण पर निर्भर करेगा।